संख्या-60/2021/639 /71-3-2021-

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बस्ती।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक, 07 मई, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती में कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0बस्ती/क्रय/2021-22/256-57, दिनांक 23.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती में कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों के क्रय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती में कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की सूची (संलग्नक के अनुसार) अनुमोदित करते हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष रू0 1,28,45,000.00 **(रूपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख पैंतालिस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उपकरणों की सूची के क्रमांक-1, 2 एवं 11 पर उल्लिखित उपकरण का क्रय प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज बस्ती के पत्र दिनांक 23.04.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-558/71-2-2021-698/2020 टीसी, दिनांक 15.04.2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा तथा शेष उपकरणों का क्रय सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
9. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनांक 29.12.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
13. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए उपयोगी उपकरण क्रय किया जायेगा। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-84-मेडिकल कालेज, बस्ती-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-60/2021/639(1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-60/2021/639/71-3-2021-, दिनांक 07 मई, 2021 का संलग्नक।

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	मात्रा	अनुमानित मूल्य लाख रूपये में	क्रय का औचित्य	क्रय का माध्यम
1	Portable X-Ray Machine 100 MA	01 अद्द	5.00	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों के जॉच हेतु	जेम आर्डर नं0–511687754942126 दिनांक 15.02.2020 महर्शि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
2	Portable X-Ray Machine 100 MA (Computed Radiography)	01 अद्द	16.00	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों के जॉच हेतु	के0जी0एम0यू0 टेण्डर आर0सी0–027/(15.3)पीएस/एफओ/ई टेण्डर/2019–20/13.12.2019
3	Multipara Monitor	10 अद्द	2.00	कोविड–19 महामारी पी0आई0यू0/एन0आई0सी0यू0 में भर्ती मरीजों के आक्सीजन लेबल की देख–रेख करने हेतु	जेम पोर्टल
4	Defibrillator	02 अद्द	4.50	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों को अन्तिम समय में साक देने हेतु	जेम पोर्टल
5	Ultrasound Machine Portable Basic	01 अद्द	15.00	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों की जॉच हेतु	जेम पोर्टल
6	Ultrasound Machine (Color Doppler)	01 अद्द	25.00	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों के जॉच हेतु	जेम पोर्टल
7	BIPAP Machine	08 अद्द	1.15	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों को आक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु	जेम पोर्टल
8	CPAP machine (Babble)	04 अद्द	0.85	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों को आक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु	जेम पोर्टल
9	Immunoassay Analyzer	01 अद्द	14.50	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों के ब्लड जॉच हेतु	जेम पोर्टल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	Dialysis machine	01 अद्द	18.00	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों इमरजेन्सी लाइफ सर्पोट हेतु	जेम पोर्टल
11	Digital Radiography System	01 अद्द	26.45	कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालय में भर्ती गम्भीर मरीजों के परीक्षण हेतु	जेम आर्डर नं0 511687728451773 दिनांक 20.04.2020 के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
कुल रूपया (एक करोड़ अट्ठाइस लाख पैंतालिस हजार मात्र)			**128.45**		

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।